



पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802(अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 807/अका./का.प/2025

रायपुर, दिनांक 24/04/2025

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की '97वाँ' बैठक गुरुवार दिनांक 24.04.2025 को अपराह्न 3.00 बजे कुलपति सचिवालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:-

डॉ. सच्चिदानंद शुक्ल, कुलपति – अध्यक्ष

- | | | | |
|---------------------------------|---------|---|---------|
| 1. श्री मोतीलाल साहू | — सदस्य | 8. डॉ. (श्रीमती) राधा पाण्डेय | — सदस्य |
| 2. श्री पुरन्दर मिश्रा (Online) | — सदस्य | 9. डॉ. मेघेश तिवारी | — सदस्य |
| 3. डॉ. एन. बोधनकर | — सदस्य | 10. श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट (Online) | — सदस्य |
| 4. डॉ. अशोक कुमार प्रधान | — सदस्य | 11. श्री बदन कुमार ठाकुर, अवर सचिव, वित्त | — सदस्य |
| 5. डॉ. कल्लोल कुमार घोष | — सदस्य | 12. डॉ. विजयानंद सिंह | — सदस्य |
| 6. डॉ. अल्फा रेखा सी. जेम्स | — सदस्य | 13. श्री कमलेश ठोकने | — सदस्य |
| 7. डॉ. मनोज कुमार मिश्रा, | — सदस्य | 14. श्री प्रकाश चंद्र चोपड़ा | — सदस्य |

डॉ. शैलेंद्र कुमार पटेल, कुलसचिव – सचिव

अनुपस्थित सदस्य- श्री गुरु खुशवंत साहेब, श्री रोहित साहू, श्री योगेश्वर राजू सिन्हा,
डॉ. गिरीश चंदेल, प्रो. मधुश्री शेखर

कार्यवृत्त

- विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 24.03.2025 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान कर पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: सूचना ग्रहण करते हुए संपुष्टि प्रदान की गई।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

- श्री प्रकाश सिंह ठाकुर, प्रथम श्रेणी लिपिक (से.नि.) के अर्जित अवकाश नदीकरण रु. 5,86,800/- (रुपए पाँच लाख छियासी हजार आठ सौ मात्र) भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: प्रस्तावानुसार भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

- डॉ. एस.एस. अग्रवाल, स्वास्थ्य अधिकारी, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के सेवानिवृत्त होने के कारण सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 36,05,437.00 (रुपए छत्तीस लाख पाँच हजार चार सौ सैंतीस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: प्रस्तावानुसार भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

- श्रीमती अन्दरबती, मेड सर्वेंट, ग्रंथालय, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के सेवानिवृत्त होने के कारण सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 7,66,123.00 (रुपए सात लाख छैंसठ हजार एक सौ तेईस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: प्रस्तावानुसार भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

4

5. Research Seed Money के नाम से आय-व्यय लेखांकन कार्य हेतु नवीन बचत खाता क्र. 43956388177 में अनुदान मद से राशि रु. 25.00 लाख (रुपए पच्चीस लाख मात्र) अंतरित किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: Research Seed Money के नाम से आय-व्यय लेखांकन कार्य हेतु स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत नवीन बचत खाता क्र. 43956388177 में अनुदान मद से राशि रु. 25.00 लाख (रुपए पच्चीस लाख मात्र) अंतरित किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

6. श्री के.पी. राठौर, सेवानिवृत्त सहायक अभियंता से प्राप्त Resume के संबंध में विचार करना।

निर्णय: सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कार्यपरिषद् की 96वीं बैठक दिनांक 24.03.2025 के पूरक सूची के निर्णय क्रमांक 18 के क्रम में श्री के.पी. राठौर से संबंधित आवेदन पर विचार आगामी निर्देश तक स्थगित रखा जाए।

7. श्री महेन्द्र कुमार भिड़े वरिष्ठ अधीक्षक (निलंबित) के पेंशन प्रकरण के संबंध में अधिवक्ता श्री नीरज चौबे से प्राप्त विधिक अभिमत पर विचार करना।

निर्णय: श्री महेन्द्र कुमार भिड़े वरिष्ठ अधीक्षक (निलंबित) के पेंशन प्रकरण के संबंध में अधिवक्ता श्री नीरज चौबे से प्राप्त विधिक अभिमत पर सदस्यों द्वारा परिशीलन एवं चर्चा उपरान्त परिनियम 31 की कंडिका 61 के प्रकाश में कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि श्री महेन्द्र कुमार भिड़े की निलंबन तिथि से अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि के मध्य की अवधि के सेवाकाल को मात्र पेंशन प्रयोजन हेतु मान्य किया जाए। भविष्य में यह निर्णय श्री भिड़े से संबंधित अन्य किसी विषय अथवा अन्य किसी प्रकरण के लिए नजीर की भाँति प्रयुक्त न किया जाए।

बायोटेक्नालॉजी अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

8. जैवप्रौद्योगिकी स्नातकोत्तर छात्रों के परियोजना कार्य का शुल्क निर्धारण के संबंध में विचार करना।

निर्णय: जैव प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में विभाग की प्रयोगशालाओं का उपयोग परियोजना कार्य हेतु किए जाने पर परियोजना शुल्क के रूप में (अधिकतम 6 माह के लिए) रु. 30,000.00 (रुपये तीस हजार) मात्र जमा करना होगा। यह शुल्क सभी वर्ग, जाति, लिंग, आदि के लिए समान होगा और अनिवार्यतः देय होगा। 06 माह से कम अवधि के संदर्भ में यह धनराशि समानुपातिक रूप से विभक्त की जा सकेगी।

भौतिकी एवं खगोल भौतिकी अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

9. भौतिकी एवं खगोल भौतिकी अध्ययनशाला से Revenue Generation में संशोधन प्रस्ताव के संबंध में विचार करना।

निर्णय: भौतिकी एवं खगोल भौतिकी अध्ययनशाला से Revenue Generation में निम्नानुसार संशोधन का अनुमोदन किया गया -

1. Revised fees for project work under inspire fellowship and without any fellowship as follow (Approved in staff council on 06-03-2025) :-

S.No.	Project Work	Old Fees (in Rs.)	Revised Fees (In Rs.)
1	Under Inspire Fellowship	5000/-	7500/-
2	Without any Fellowship	1000/-	2500/-

2. Revised fees structure for availing the instrumentation facilities
Revised Fees structure for Advance Research Facilities (Approved in staff council on 25-09-2024)

S.No.	Instrument Facility	Old Fees (Rs.)	Revised Fees (Rs.)
1	X-Ray Diffraction (XRD)	500	500
2	Fourier Transform Infra Red (FTIR)	500	500

3	Differential Scanning Calorimetry (DSC) (Temp. -25 to 500° C)	500	1000
4	Thermal Gravimetric Analysis (TGA) (Temp. 25 to 1100° C)	500	600
5	Photoluminescence Study (PL) (Excitation and Emission Spectra)	100	200 (per excitation wavelength)
6	Mechanoluminescence Study (ML)	100	100
7	Thermoluminescence Study (TL)/OSL Reader	100	600
8	Impedance Spectroscopy	100	100
9	Galvanostat (Potentiostat)	100	200
10	High Temperature Furnace Up to 1000° C	100	500 (per slot)
11	High Temperature Furnace >1000° C (Max. Limit 1500° C)	200	700 (per slot)
12	High Temperature Furnace >1500° C (Max. Limit 1700° C)	400	1000 (per slot)

3. Revenue Distribution of the fees for advance research facilities as decided in the staff council dated 25-09-2024 and for project work under Inspire fellowship/without fellowship, are as follow:

- 30% - Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur.
- 30% - Department i.e. SoS in Physics and Astrophysics, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur.
- 30% Supervisors like Subject Experts/Regular Faculties/Guest Faculties/Alumni.
- 05% Technical Staff.
- 05% Clerical Staff (Class III and IV).

उपरोक्त के संबंध में यह भी निर्णय लिया गया कि **Revenue Generation** के प्रस्ताव की प्रत्येक तीन वर्ष में अनिवार्यतः समीक्षा की जाए एवं आवश्यक होने पर मध्यावधि में भी संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है।

पूरक विषयसूची

1. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.04.2025 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान करना।

निर्णय: कार्यवृत्त के विषयसूची बिन्दु क्रमांक 06, 10, 11, 15 एवं 16 पर कार्यपरिषद् अध्यक्ष की अनुमति से पृथक रूप से भी चर्चा की गई। तत्संबंधित बिन्दुओं पर कार्यपरिषद् का भी अभिमत पृथक से उल्लेखित किये जाने के निर्णय के साथ सम्पूर्ण कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

2. सत्र 2024-25 में महाविद्यालय को प्रदान की जाने वाली सब्सिडी राशि रु. 8.70 लाख (रुपए आठ लाख सत्तर हजार मात्र) भुगतान के संबंध में विचार करना।

निर्णय: प्रस्तावानुसार भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

3. शिक्षकों के कैरियर एडवांस स्कीम (CAS) के तहत पदोन्नति उपरांत एरियर्स की सकल राशि रुपए 69,48,452.00 (रुपए उनहत्तर लाख अड़तालीस हजार चार सौ बावन मात्र) (नियमानुसार सी.पी.एफ. एवं 30 प्रतिशत आयकर कटौती प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 20 प्रतिशत आयकर कटौती अतिरिक्त) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: प्रस्तावानुसार भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।



4. सेमेस्टर परीक्षा दिस.-जन. 2024-2025 एवं वार्षिक परीक्षा 2025 के अग्रेषण शुल्क राशि रुपए 36,84,970/- (रुपए छत्तीस लाख चौरासी हजार नौ सौ सत्तर मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: प्रस्तावानुसार भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

5. वार्षिक परीक्षा 2025 केन्द्रीय मूल्यांकन इकाई हेतु अग्रिम राशि रुपए 84,35,000/- (रुपए चौरासी लाख पैंतीस हजार मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: प्रस्तावित विश्वविद्यालय बजट 2025-26 B. Examination head of S.N. 6. Evaluation of Answersheet, में प्रावधानित राशि रु. 400.00 लाख में से विश्वविद्यालय वार्षिक परीक्षा 2025 के मूल्यांकन केन्द्रीय मूल्यांकन इकाई/संग्रहण केन्द्र/पुनर्मूल्यांकन इकाई (मूल्यांकन, पारिश्रमिक, टी.ए./डी.ए. एवं अन्य पारिश्रमिक) हेतु अग्रिमकर्ता/समन्वयक को राशि रुपए 84,35,000/- (रुपए चौरासी लाख पैंतीस हजार मात्र) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

6. DST-PURSE-Project के अंतर्गत Consumable, Travel, Seminar Conferences/workshop & overhead मद की वर्ष 2023-24 में अग्रिम राशि 16,37,570 (राशि सोलह लाख सैंतीस हजार पांच सौ सत्तर मात्र) समायोजन के स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: DST-PURSE-Project के अंतर्गत Consumable, Travel, Seminar Conferences/workshop & overhead मद की वर्ष 2023-24 में अग्रिम राशि 16,37,570 (राशि सोलह लाख सैंतीस हजार पांच सौ सत्तर मात्र) समायोजन की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की गई -

S.N.	Head	Advance	Expenditure 09-03-22 to 31-03-23	Expenditure 01-04-2023 to 31-03-2024	Balance/Excess
1	Consumables	50,00,000.00	Nil	9,33,420.00	40,66,580.00
2	Travel	2,99,924.00	Nil	2,04,395.00	95,529.00
3	Overhead	4,00,000.00	Nil	3,99,755.00	245.00
4	Seminar, Conferences/ workshop	6,00,000.00	Nil	1,00,000.00	5,00,000.00
5	Bank Interest	93,312.00	-	0	93,312.00
	Total amount	63,93,236.00	Nil	16,37,570.00	47,55,666.00

7. Chartered Accountants Firm for Maintenance of Accounts, Compliance, Taxation and Consultancy work of PRSU, Raipur हेतु कार्य/अनुबंध में वित्तीय वर्ष 2025-26 (दिनांक 01.04.2025 से 31.03.2026 तक) के लिए अर्थात् 01 वर्ष की वृद्धि की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: कार्यपरिषद् के सदस्यों को कुलसचिव द्वारा अवगत कराया गया कि अनुबंधित फर्म P.R. Sancheti & Company, Chartered Accountants, Raipur का कार्य संतोषजनक है तथा फर्म के द्वारा एक वर्ष की वृद्धि के साथ पूर्व अनुबंधित राशि रुपए 4.8 लाख (रुपए चार लाख अस्सी हजार मात्र) को बढ़ाकर रुपए 7.5 लाख (रुपए सात लाख पचास हजार मात्र) किये जाने का प्रस्ताव दिया गया है। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वित्तीय नियमों के क्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूर्व अनुबंधित राशि में 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुए एक वर्ष के लिए पुनः सेवावृद्धि किये जाने का अनुमोदन किया गया।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

8. CIF(NCNR) विभाग के FTIR उपकरण क्रय देयक रु. 30,68,000=00 (रुपए तीस लाख अड़सठ हजार मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: वित्तीय वर्ष 2024-25 के मुख्य बजट में नवीन मद के रूप में प्रावधानित पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में स्टार्टअप, इनोवेशन एवं रिसर्च तथा अपग्रेडेशन ऑफ इन्स्ट्रुमेंटेशन फेसिलिटी के अंतर्गत शासन से प्राप्त अनुदान राशि रु. 50.00 लाख (रुपए पचास लाख मात्र) के सापेक्ष स्टार्टअप, इनोवेशन एवं रिसर्च से संबंधित उपकरणों के क्रय हेतु राशि रुपए 27,90,700/- (सत्ताईस लाख नब्बे हजार सात सौ रुपए मात्र) तथा अपग्रेडेशन ऑफ इन्स्ट्रुमेंटेशन फेसिलिटी हेतु उपकरण क्रय राशि रुपए 30,68,000/- (तीस लाख अड़सठ हजार) कुल राशि रुपए 58,58,700/- (अन्ठावन लाख अन्ठावन हजार सात सौ रुपए मात्र) के सापेक्ष प्रस्तावित उपकरणों राज्य शासन से प्राप्त मद से CIF(NCNR) विभाग के FTIR उपकरण क्रय देयक रु. 30,68,000=00 (रुपए तीस लाख अड़सठ हजार मात्र) के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

9. वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षा पूर्व कार्य सत्र 2024-25 का देयक राशि रु. 3,48,03,165=00 (रुपए तीन करोड़ अड़तालीस लाख तीन हजार एक सौ पैंसठ रुपये मात्र) के भुगतान के लिए स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षा पूर्व कार्य सत्र 2024-25 का देयक राशि रु. 3,48,03,165=00 (रुपए तीन करोड़ अड़तालीस लाख तीन हजार एक सौ पैंसठ रुपये मात्र) अनुबंधित फर्म भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित, आदर्श नगर, कांके रोड, रॉची (NCCF) को निम्नानुसार भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई -

Bill No.GM/25-26/03			Date 09-APR-2025		
S\N	Description	Quantity	Rate	GST	Amount
01	Pre Examination Processing Semester Examination Jan 2024-25	69,392 CAN	Rs. 210.50	18%	Rs. 1,46,07,016.00
02	Pre Examination Processing Annual Examination Mar-Apr 2025	70,723 CAN	Rs. 210.50	18%	Rs. 1,48,87,191.00
	Total	1,40,115 CAN			Rs. 2,94,94,207.50
				GST	Rs. 53,08,957.35
				Total	Rs. 3,48,03,165.00

INR Three Crore Forty Eight Lakh Three Thousand One Hundred Sixty Five Only

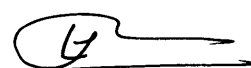
भुगतान हेतु मद- F.Examination and Evaluation Administration (3)

Result Processing Charge, Financial Year 2025-26,

प्रावधानित राशि-राशि रु.1100.00 लाख

10. विश्वविद्यालय कैम्पस एरिया नेटवर्क एवं सर्वर वार्षिक रख-रखाव कार्य के अनुबंध में 03 माह वृद्धि हेतु कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय कैम्पस एरिया नेटवर्क एवं सर्वर वार्षिक रख-रखाव कार्य के लिए वैकल्पिक व्यवस्था एवं नवीन निविदा प्रक्रिया के द्वारा नये फर्म का चयन होते तक संबंधित फर्म Sai Info Services, No.-14, Shiv Residency, Mathpurena, Raipur (C.G.) के अनुबंध में 03 माह (दिनांक 13/03/2025 से 13/06/2025 तक) के लिए आदेश क्र. 231/विकास/2025 रायपुर, दिनांक 03/04/2025 के द्वारा वृद्धि किया गया है। उक्तानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।



सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

11. डॉ. श्रीमती दीप्ति ठाकुर, सहायक प्राध्यापक, गणित अध्ययनशाला के धारणाधिकार की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: डॉ. श्रीमती दीप्ति ठाकुर, सहायक प्राध्यापक, गणित अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को नियुक्त पद (सह-प्राध्यापक) पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पूर्व नियुक्त पद सहायक प्राध्यापक पर धारणाधिकार अधिकतम 02 वर्ष के लिए प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी गई।

12. डॉ. अदीप कुजूर, सहायक प्राध्यापक, फार्मसी संस्थान, धारणाधिकार की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: डॉ. अदीप कुजूर, सहायक प्राध्यापक, फार्मसी संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को नियुक्त पद (सह-प्राध्यापक) पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पूर्व नियुक्त पद सहायक प्राध्यापक पर धारणाधिकार अधिकतम 02 वर्ष के लिए प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी गई।

13. डॉ. संजय तिवारी, प्राध्यापक को धारणाधिकार स्वीकृति एवं कार्यमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: डॉ. संजय तिवारी, प्राध्यापक, इलेक्ट्रानिक्स एवं फोटानिक्स अध्ययनशाला को माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग में कुलपति पद पर नियुक्ति किए जाने के क्रम में उक्त पद पर डॉ. तिवारी के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधिकतम 05 वर्ष की अवधि के लिये धारणाधिकार प्रदान करते हुए वर्तमान प्राध्यापक पद से भारमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

14. गोपनीय मुद्रण भुगतान के संबंध में विचार करना।

निर्णय: सेमेस्टर परीक्षा दिसम्बर-जनवरी 2024-25 तथा पी-एच.डी. प्रवेश परीक्षा 2024 के सम्पन्न पश्चात् गोपनीय मुद्रण कार्य हेतु अनुबंधित फर्म द्वारा प्रस्तुत देयक राशि रुपये 1,50,13,519.00 (रुपए एक करोड़ पचास लाख तेरह हजार पाँच सौ उन्नीस मात्र) जी.एस.टी. सहित भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

विधिक प्रकोष्ठ से प्राप्त प्रस्ताव :-

15. श्री आशुतोष सिंह कछवाहा, अधिवक्ता को माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में विश्वविद्यालय के पक्ष रखने के लिए विश्वविद्यालय के पैनल अधिवक्ता के रूप में सम्मिलित करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।

अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

16. शासकीय जे. योगानन्दम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर को प्राणी विज्ञान विषय में शोध-केंद्र की मान्यता के संबंध में विचार करना।

निर्णय: शासकीय जे. योगानन्दम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर को प्राणी विज्ञान विषय में शोध-केंद्र की मान्यता के संबंध में बिन्दुवार जानकारी के साथ प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

17. श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय, रायपुर को राजनीति विज्ञान विषय में शोध-केंद्र की मान्यता के संबंध में विचार करना।

निर्णय: राजनीति विज्ञान शोध उपाधि समिति के निर्णय के अनुक्रम में पुस्तकालय की सुविधा बढ़ाने तथा शोधार्थियों को उचित सुविधा प्रदान किये जाने के शर्त पर तीन वर्ष के लिये शोध केन्द्र की अस्थायी मान्यता प्रदान किये जाने का अनुमोदन किया गया।



अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

01. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु-1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.04.2025 के बिंदु क्रमांक 06 में अध्यादेश क्र. 170 (2)(e) में "B.Sc. in Biological Sciences Shall be eligible for admission in M.Sc. Microbiology" एवं अध्यादेश क्र. 170 (2)(p) "M.Sc. Data Science" समाहित किए जाने की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: अध्यादेश क्र. 170 (2)(e) में "B.Sc. in Biological Sciences Shall be eligible for admission in M.Sc. Microbiology" एवं अध्यादेश क्र. 170 (2)(p) "M.Sc. Data Science" में संशोधन को समाहित करते हुए निम्नानुसार अनुशंसा का अनुमोदन किया गया –

Ordinance No.		Current provisions	Proposed Provisions	Justification
170	2	(e)For admission in Bioscience, Biochemistry, Biotechnology and Herbal Science Technology, a candidate must have offered subjects of Biological Science at B.Sc. level. If any difficulty arises in this connection, the matter shall be referred to a committee consisting of Dean of the Faculty and Chairman Board of Studies and Head of subject concerned.	(e)For admission in Microbiology, Bioscience, Biochemistry, Biotechnology and Herbal Science Technology, a candidate must have offered subjects of Biological Sciences at B.Sc. level. If any difficulty arises in this connection, the matter shall be referred to a committee consisting of Dean of the Faculty and Chairman Board of Studies and Head of subject concerned.	Microbiology is also Allied subject .
	2	Not exits	(p) For Admission in M.Sc. Data Science a candidate should have a Bachelor's degree in Science /Art/Commerce at least 2 nd division with one paper Maths	Start New Course M.Sc. Data Science

02. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु-1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.04.2025 के बिंदु क्रमांक 10 में शैक्षणिक उत्कृष्टता की दृष्टि से निम्नांकित 11 नीतियों (Policy) को विश्वविद्यालय में लागू किये जाने हेतु अधिसूचना क्रमांक 650.A/अका./2023 दिनांक 09.09.2023 की सूचना ग्रहण कर अनुमोदन प्रदान करना –

1. Guidelines for Curriculum Feedback
2. Manual for Outcome based Curriculum framework
3. Policy on Slow and Advanced Learners
4. Policy on Recognizing and Rewarding Outstanding Achievements of Faculty, Staff and Students
5. Institution Innovation Council Policy
6. Code of Ethics for Research
7. Code of Conduct for Faculty, Non-Teaching Staff, and Students
8. Memorandum of Understanding (MoU) Policy
9. University Cyber Policy (Information Technology Infrastructure Usage Policy)
10. Placement Policy
11. Guidelines for Alumni Cell

निर्णय: सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

03. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु-1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.04.2025 के बिंदु क्रमांक 11 में शैक्षणिक उत्कृष्टता की दृष्टि से निम्नांकित 16 नीतियों (Policy) को विश्वविद्यालय में लागू किये जाने हेतु अधिसूचना क्रमांक 2457/अका./2024 दिनांक 24.01.2024 की सूचना ग्रहण कर अनुमोदन प्रदान करना –

1. Institutional Research and Development Policy
2. Policy on Establishing and Operationalizing the Central Instrument Facility (CIF)
3. Environment and Energy Usage Policy

4. Solid Waste and E-Waste Management Policy
5. Fees Refund Policy
6. Website Policy
7. Plagiarism Policy
8. Social-Extension (SE) Policy
9. Publicity and Competitive Marketing Policy
10. Student Support Policy
11. Information Technology Infrastructure Usage Policy
12. Policy on Biodiversity Compliance Cell (BCC)
13. Policy on the Equal Opportunity Cell (EOC)
14. Maintenance Policy
15. e-governance Policy
16. Resource mobilisation policy

निर्णय: सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

04. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु-1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.04.2025 के बिंदु क्रमांक 15 में "श्रीमंत शंकर देव शोध पीठ" के प्रस्तावित विनियम की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: "श्रीमंत शंकर देव शोध पीठ" का विनियम क्रमांक 222 की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

05. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु-1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.04.2025 के बिंदु क्रमांक 16 में पी-एच.डी. से संबंधित संशोधित अध्यादेश 45 के अनुक्रम में निम्नांकित बिन्दुओं की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना –

1. प्रत्याशियों को पी-एच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश देते समय विभागीय शोध समिति (DRC) द्वारा प्रादेशिक आरक्षण नीति का समुचित ध्यान रखने पर विचार करना।
2. ऐसे शोध निदेशक जो शोध केन्द्र में पदस्थ नहीं हैं। उनके अधीन शोध छात्र का पंजीयन शोध निदेशक के नजदीकी शोध केन्द्र में अथवा विश्वविद्यालय परिसर स्थित शोध केन्द्र में किये जाने, किन्तु इस स्थिति में शोधार्थी को शोध केन्द्र से एक सह-निदेशक लेना अनिवार्य किए जाने पर विचार करना।
3. आरक्षण शोध निदेशक की ओर लागू होगा तथा सह-निदेशक पर उनके रिक्त सीट के आधार पर प्रवेश हेतु विचार करना।
4. Revised Ordinance-45 की कंडिका 10(g) के अनुसार निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने वाले राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय शोध संस्थान में कार्यरत Scientist/Director/Research Officer/Equivalent position को विश्वविद्यालय Supervisor/Co-supervisor मान्य किये जाने के संदर्भ में विचार।
5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना क्रमांक- F.No.1-1/2018 (CARE/JOURNAL)- Part file 22 माघ 1946/11 February, 2025 के संबंध में चर्चा एवं विचार।
6. संशोधित अध्यादेश-45 में आवश्यक संशोधन एवं अध्यादेश के सुचारु क्रियान्वयन हेतु विनियम बनाने हेतु समिति गठित करने पर विचार।

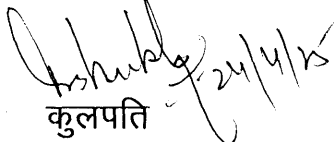
निर्णय: विद्यापरिषद् की स्थायी समिति को कुलसचिव ने अवगत कराया कि पी-एच.डी. से संबंधित संशोधित अध्यादेश 45 के अनुक्रम में बायोटेक्नोलॉजी अध्ययनशाला तथा जैविकी अध्ययनशाला की वर्ष 2009 से 2025 तक की विभागीय शोध समिति पंजी का अवलोकन किया गया। जिसमें परिलक्षित हुआ कि वर्ष 2016 से पूर्व शोध छात्रों को प्रवेश देते समय आरक्षित वर्ग का छात्र उपलब्ध नहीं होने पर अन्य वर्ग से प्रवेश दिया जाता था। पी-एच.डी. संबंधी मूल नस्ती के पृष्ठ क्रमांक-49 पर सन् 2016 में माननीय कुलपतिजी द्वारा गठित समिति द्वारा "प्रवेश के समय किसी भी स्थिति में आरक्षित वर्ग की सीट अन्य वर्ग से नहीं भरा जाए" का निर्णय भी लिया गया है।

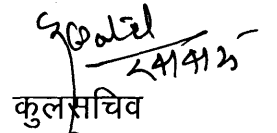
विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 08.01.2018 में शोध निदेशक तथा सह निदेशक के निर्धारण संबंधी निर्णय लिया गया है किन्तु सहनिदेशक के आरक्षण के संबंध में तथा आरक्षित

सीटों की क्रमानुसार पूर्ति करने के संबंध में निर्णय परिलक्षित नहीं है। उक्त के अनुक्रम में समग्रता के साथ चर्चा उपरांत निम्नानुसार अनुशंसा का अनुमोदन किया गया –

1. प्रत्येक शोध निदेशक के लिये निर्धारित सीटों में से छत्तीसगढ़ शासन के प्रवेश नीति में दर्शित प्रतिशत के अनुसार विभिन्न वर्गों के लिये सीट आरक्षित होगी।
2. ऐसे शोध निदेशक जो शोध केन्द्र में पदस्थ नहीं हैं, वे अपने अधीन शोधार्थियों के शोध पंजीयन हेतु नजदीकी शोध केन्द्र अथवा विश्वविद्यालय परिसर स्थित संबंधित शोध केन्द्र का चयन कर सकते हैं, किन्तु ऐसी स्थिति में शोधार्थी के लिये उस शोध केन्द्र से एक सह-निदेशक रखना अनिवार्य होगा। साथ ही, शोध निदेशक केवल एक ही शोध केन्द्र का चयन कर सकेंगे।
3. किसी शोध छात्र के प्रवेश में आरक्षण का प्रावधान शोध निदेशक के लिये निर्धारित सीटों पर लागू होगा। शोध छात्र के साथ सह-निदेशक होने की स्थिति में सह-निदेशक की उपलब्ध सीटों में से प्रथमतः शोध छात्र के वर्ग की सीट आबंटित की जायेगी। यदि सह-निदेशक के पास उस वर्ग की सीट उपलब्ध नहीं है, तो शोध प्रसार की दृष्टि से अन्य वर्ग की उपलब्ध सीट से प्रवेश दिया जा सकेगा, किन्तु ऐसी स्थिति में मूल वर्ग की सीट को बैकलाग मानते हुए यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अगली रिक्ति पर अनिवार्यतः उस वर्ग की सीट से ही प्रवेश दिया जाए।
4. विश्वविद्यालय से MOU हस्ताक्षरित करने वाले राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय शोध संस्थान में कार्यरत Scientist/ Director/ Research Officer अथवा समकक्ष पदधारी को RDC की संस्तुति पर विश्वविद्यालय के मान्य Supervisor/Co-supervisor के रूप में मान्यता प्रदान की जा सकेगी।
5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना क्रमांक- F.No.1-1/2018 (CARE/JOURNAL)- Part file 22 माघ 1946/11 February, 2025 को अंगीकृत किया गया।
6. संशोधित अध्यादेश-45 में आवश्यक संशोधन एवं अध्यादेश के सुचारु क्रियान्वयन हेतु विनियम बनाने हेतु निम्नानुसार समिति गठित की गई –
 1. डॉ. कल्लोल कुमार घोष, प्राध्यापक, रसायन अध्ययनशाला
 2. डॉ. निनाद बोधनकर, अध्यक्ष, Research & Development Cell,
 3. डॉ. (श्रीमती) स्वर्णलता सराफ, संकायाध्यक्ष, टेक्नालॉजी संकाय
 4. डॉ. (श्रीमती) माया वर्मा, संकायाध्यक्ष, कला संकाय

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

पृ.क्रमांक : 808 /अका./का.प/2025

रायपुर, दिनांक 24/04/2025

प्रतिलिपि :-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
4. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
5. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
6. संचालक, आई.क्यू.ए.सी.
7. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
8. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
9. कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उप-कुलसचिव (अका.)